न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

5

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1626–एक/11 विरूद्ध आदेश, दिनाक 9–8–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 441/09–10 निगरानी.

साहब सिंह पुत्र श्री आशाराम,
निवासी ग्राम खिरिया जौजुअ तहसील भाण्डेर जिला दतिया म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 ओमप्रकाश पुत्र रघुनन्दन
2 सरदार सिंह पुत्र रघुनन्दन
3 मानसिंह पुत्र रघुनन्दन
4 गजरात सिंह पुत्र रघुवीरसिंह
5 भूरी पत्नी जबर सिंह
6 शोभाराम पुत्र जबर सिंह
7 जसोदा पुत्री पहलवान सिंह
समस्त निवासीगण कल्याणपुरी
तहसील टहरौली जिला झाँसी उ0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0 एल0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1626–एक/11 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर

आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 441/09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–8–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । मौजा खिरिया फजुल्ला तहसील भाण्डेर जिला दतिया में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 83 रकबा 0.89 हैक्टेयर की भूमिस्वामी गेंदारानी बेवा पहलवान, रघुनंदन व रघुवीर सिंह पुत्रगण रामसिंह यादव निवासी ग्राम कल्यानपुरा तहसील मोंठ जिला झांसी उ0 प्र0 सम्मिलित रूप से अन्य कृषकों के साथ चले आ रहे थे । भूमिस्वामी गेंदारानी, रघुनंदन व रघुवीर सिंह यादव की मृत्यु होने के पूर्व एक वसीयतनामा दिनांक 6–2–08 निष्पादित किया गया था । उन्होनें अपनी वसीयत के अनुसार मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि का भूमिस्वामी अपने हिस्से का आवेदक साहब सिंह को बनाना स्वीकार किया था । इस आधार पर आवेदक साहब सिंह द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 109, 110 के अंतर्गत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा अपने प्रकरण कमांक 39/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 6–3–09 द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 301/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 19–5–10 द्वारा अनावेदकगण का धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो (वसीयतनामा आदि) का कूट परीक्षण किए बगैर आदेश पारित किया गया है, जिस कारण उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुये नामांतरण नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित किये जाने का निर्देश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 441/09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–8–11 द्वारा आवेदक की निगरानी अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में समस्त अभिलेखों पर अध्ययन एवं विचार करने के उपरान्त मैं पाता हूँ कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा उनके आदेश दिनांक 19–5–10 से वसीयत आदि के कूटपरीक्षण के अभाव आदि कारणों एवं आधारों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, उनके अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए और नामांतरण नियमों का पालन करते हुए नामांतरण आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं । अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश न्यायोचित स्पष्ट और बोलता हुआ है और इससे किसी भी पक्ष के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हों, यह नहीं माना जा सकता । वैसे भी इस आदेश के उपरान्त उभयपक्ष के पास पक्ष समर्थन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष अवसर उपलब्ध है । निगराकार को विलम्ब किए बगैर लाभ इस अवसर का उठाना चाहिए था और अपर आयुक्त और राजस्व मण्डल में अधीनस्थ न्यायालय के माध्यम से निर्णय करा लेने के पूर्व सीधे नहीं आ जाना चाहिए था । अपर आयुक्त ने अपने आक्षेपित आदेश से अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश को यथावत् रखने में कोई गलती नहीं की है ।

4/ अतः अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 9–8–11 यथावत रखा जाता है और यह निगरानी अस्वीकार कर प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर